

FORM-II

(For projects other than linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML-SR-(57)/2020- 708-09

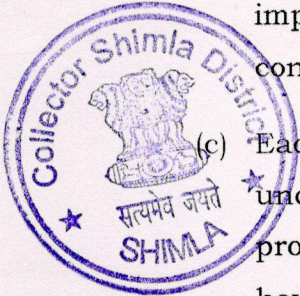
Dated: 12-11-2020

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **00-35-34 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of the Regional Manager, HRTC, Rampur Bushahar for construction of Bus Stand Nankhari (proposed for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Mauja DPF Borja, Tehsil Nankhari, District Shimla, Himachal Pradesh.

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **00-35-34 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Sub-Division Level Committee(S) and the District Level Committee are enclosed as annexure -A to annexure B.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication. In vernacular/Local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.
- (c) Each of concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities/process under FRA have been carried out and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion.
- (d) The discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of FRA.



(Aditya Negi)
District Collector,
Shimla (H.P.)

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA, HIMACHAL PRADESH**

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2006.

A meeting of the District Level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Shri Aditya Negi, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 6-11-2020 at 11.30 AM in which the application(s) of applicants of Gram Sabha Thana-Nankhari claiming rights in village forest area(s) **00-35-34 Hectares** under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee, Rampur were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim(s) of following applicant(s) were found to be in order hence admitted:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
----Nil---			

Claim(s) of the following applicant(s) were not found in order and hence rejected:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
----Nil---			

As informed by SDO(Civil), Rampur no application was received from Gram Sabha Thana-Nankhari claiming right in **00-35-34 Hectares** forest area.

Place: Shimla

Date:

**Deputy Commissioner-cum-Chairman,
District Level Forest Rights Committee,
Shimla**

अध्यक्ष महोदय, एसरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 29-02-2020 की कार्यवाही (1-2-1)

19.3

385451
20/3/2020

- सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित हुए सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों का बैठक में उपस्थिति होने पर स्वागत किया, तदोपरान्त बैठक में निम्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

20-3-20 मद संख्या -1

मद संख्या -2

बस अड्डा ननखड़ी के निर्माण के लिए मलकीयत सरकार कब्ज़ा

Channer ✓

मद संख्या -2

बस अड़्डा ननखड़ी के निर्माण के लिए मलकीयत सरकार कब्जा ताबे हकूक वर्तन वर्तनदारन मौजा DPF भोरजा में खसरा नंबर 24/1 तादादी रकवा 00-35-34 हेक्टेयर प्रस्तावित भूमि के लिए ग्राम पंचायत थाना-ननखड़ी ने प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 02-10-2018 के माध्यम से सहमति दी है। जिसमें वन अधिकार थाना-ननखड़ी ने सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप अर्जित होनी है उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

मद संख्या -3

इसके अतिरिक्त उपयुक्त महोदय दुवारा एक अधिसूचना डी.ओ. संख्या SML-सर(Notification)2016-796 दिनांक 02 सितम्बर 2019 दुवारा जारी की गई थी जिस में उप-मण्डल रामपुर के अंतर्गत स्थित सभी वन अधिकार समितियों दुवारा स्थानीय जन मानस के लिए 10-09-2019 से पूर्व एक सूचना जारी की जानी थी तथा 16-09-2019 से 14-12-2019 के बीच सभी लोगों से वन अधिकार अधिनियम के नियम 4 के अंतर्गत दावे व आपतियां मंगवाई गई थी महाल सभा दुवारा सितम्बर माह में पहली बैठक की गई तथा महाल सभा की दूसरी बैठक दिसंबर माह में आयोजित की गई (सूची संलग्न) मुताविक रिपोर्ट खण्ड विकास अधिकारी (NodalOfficer) रामपुर व ननखड़ी के, किसी भी वन अधिकार समिति के समक्ष किसी भी व्यक्ति ने कोई दावा व आपति दायर नहीं की है आज उप-मण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में इस बारे चर्चा की गई किसी भी वन अधिकार समिति के समक्ष किसी भी व्यक्ति दुवारा दावा व आपति दायर ना किये जाने के कारण जिला स्तरीय समिति को नहीं भेजे जाने बारे सहमति हुई है

Wamcc

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का
अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद किया गया।

(Namma)

उप-मण्डलाधिकारी (ना०),
रामपुर बुशहर जिला शिमला हि०प्र०
दूरभाष नं० 01782 233002

पृष्ठंकन संख्या: आर०एम०पी०/एस०डी०के०/2020 239 दिनांक 9/3/2020.

प्रतिलिपि:

1. उपायुक्त महोदय शिमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों तथा समस्त गैर सरकारी सदस्यों को सूचनार्थ।

(Namma)

उप-मण्डलाधिकारी (ना०),
रामपुर बुशहर जिला शिमला हि०
दूरभाष नं० 01782 233002

OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER (CIVIL), RAMPUR,
DISTT. SHIMLA, HIMACHAL PRADESH

**Proceeding of the meeting of the Sub-Divisional Level Committee
constituted under Scheduled Tribes & Other Traditional Forest
Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2006.**

A meeting of the Sub-Divisional Level Committee of Rampur Sub-Division constituted under RFA, 2006 was held under the chairmanship of Sh. Narender Chauhan, HPAS, Sub-Divisional Officer (C), Rampur, Distt. Shimla, H.P. on 29-02-2020 at 11:00 AM at Rampur, in which the application of the applicant of HRTC for diversion of forest land area measuring 00-16-66 hect. at Takleeh and area measuring 00-35-34 hect. of land in Forest Division Rampur for the construction of new Bus Stand Takleeh Sub-Tehsil Takleeh and Nankhari Tehsil Nankhari District Shimla under FRA 2006 duly processed and recommended by the Forest Right Committee Takleeh and Thana-Nankhari was discussed and consider the same and forwarded with recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detail discussion the application of the applicant were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee.

Place :- Rampur
Dated :- 29-02-2020


SDO & Chair-Chairman,
Sub-Divisional Level Committee

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा याना

प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या ०३

दिनांक 27/09/18

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा याना की बैठक आज दिनांक 27/09/2018
को 11 बजे स्थान याना में श्री/श्रीमति रघुपति
की अध्यक्षता में की गई जिसमें याना, जोड़ी लोटी गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत डी.ए.ए. भोजपुर
जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें MRPL विभाग द्वारा सस स्टो ** निकली
के निर्माण के लिए 00-35-34 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए
दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों
के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा
द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्यौरा
1	<u>गुप्त वाली याना</u>	<u>डी.ए.ए.</u>	<u>झिंही लोटी इपन श्रीमति</u>
2		<u>भोजपुर</u>	<u>चापवा धाव</u>

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं० *पात्र गांव वासी का नाम

1

2

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

डी.ए.ए. भोजपुर जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान याना Durga Singh
दिनांक 27/09/18 गुप्त वाली याना

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता रघुपति
ग्राम सभा रघुपति

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि का उपयोग की अनुमति दी जानी है।



अधीकृत
विकास खण्ड नमकी
जिला शिमला (हि.प्र.)



साथ
ग्राम पंचायत नमकी
विकास खण्ड नमकी
जिला शिमला (हि.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....थाना.....
प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....03.....

दिनांक.....27/05/2018.....

ग्राम सभा.....थाना..... की बैठक आज दिनांक 27/05/2018 को
11 बजे स्थान थाना में श्री/ श्रीमति राजपाल की अध्यक्षता में की गई जिसमें थाना क्षेत्र, जंगल गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत D.P.P. मोहन जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें H.R.T.C. विभाग द्वारा बालू बंधू** मनबो के निर्माण के लिए 00-3534 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्यौरा
1	<u>शाह बाबू थाना</u>	<u>D.P.P.</u>	<u>ई माली वन अधिकार</u>
2		<u>मोहन</u>	<u>मध्य वन</u>

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं० *पात्र गांव वासी का नाम

1
2

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार..... जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान.....साहिबु वन अधिकार
दिनांक.....जुलाई थाना

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा.....Robash P.L.

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।



प्रमाण
वन अधिकार क्षेत्र - नमूना
विकास संयोजक, ज.प्र.
जिला सिविल (वि.प्र.)



संवेद
ग्राम विकास आग-नमूना
विकास संयोजक, ज.प्र.
जिला सिविल (वि.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा बन स्ट्रेट स्कीम
विकास खण्ड नानखरी जिला शिवपुर (हि0प्र0)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

गणपूर्ति 60/90 /

दिनांक 30/5/2018

प्रस्ताव संख्या 14

विषय: बन स्ट्रेट स्कीम विभाग / संस्था को H.R.T.C
..... के निर्माण हेतु D.R.P योजना जंगल / वन क्षेत्र
में प्रस्तावित 0.0-35-34 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग
की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा याना - नानखरी की बैठक 30/5/2018
को 11:00 AM बजे, स्थान नानखरी की गई जिसमें H.R.T.C
विभाग / संस्था को बन स्ट्रेट स्कीम के निर्माण हेतु D.R.P योजना
..... जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के
लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारों पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है / कर ली है तथा प्रस्तावित हैक्टयर वन भूमि को बन स्ट्रेट स्कीम निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा याना - नानखरी की सहमति दी जाती है। Durgu Singh

जाकि का अकिट
राजिबिमान

स्थान
दिनांक



प्रमाण
बन स्ट्रेट स्कीम - नानखरी
विकास खण्ड नानखरी
जिला शिवपुर (प.प.)



सचिव
ग्राम सभा याना-नानखरी
विकास खण्ड नानखरी
जिला शिवपुर

Rabish Pell

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा
राजिबिमान